

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

₹. 10



TEN  
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश LITIGATION

81AC 554273

एव वरानसी न्यायिक अखत्यारियत अंतर्गत अन्वेषण तालुक जेल फोर रक्षक संस्थान के पास

शास्त्री नारायण लाल मोहन मुखर्जी के पास

बन्धन अखत्यारियत

इसका प्रयोग केवल न्यायिक उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है।

क्रमांक 15-413343



Handwritten signature in green ink.

अखत्यारियत  
अन्वेषण तालुक जेल फोर रक्षक संस्थान, वरानसी (उत्तर प्रदेश)  
11/11/2018


**नियमावली**

1. संस्था का नाम : शाहजहाँपुर एन्यूक्लियर वेल्फेयर सोसायटी,
2. संस्था का पूरा पता : 74, बाली नगर बसोनी रोड मुल्तायेल तहसील  
जिला शाहजहाँपुर पिन- 242001
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की संरचना तथा सदस्यों के वर्ग:-

संस्था की संरचना प्राप्त करने हेतु आवेदन या प्रस्तावकारियों समिति में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें निम्न के उपरान्त हो कर ही व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकेगा। आवेदन का खर्चा होगा अनिवार्य होगा। संरचना परिष्करण निम्न प्रकार होगा।

- आजीवन सदस्य : समिति की एक मुद्रा रुपये 1000/- तथा दो इससे कम।  
द्वारा जन्म सम्पत्ति प्रदान करने वाले कोई व्यक्ति समिति के आजीवन सदस्य बन सकेगा।
- विविध सदस्य : समिति की एक मुद्रा 500/- एवं दो से अधिक व्यक्ति पाँच वर्ष के लिए विविध सदस्य बन सकेगा।
- साधारण सदस्य : संस्था की एक मुद्रा 200/- एवं प्रत्येक सदस्यता शुरू करने प्रदान कर कोई भी व्यक्ति साधारण सदस्य बन सकेगा।

5. सदस्यता की शर्तें :-
  - मुद्रा होने पर : निम्नलिखित आधार पर सदस्यता की स्वीकृति हो जायेगी -  
 1. साधारण जिनकी किसी कारण से मुद्रा की जायेगी उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
  - सम्पत्ति होने पर : किसी सरकारी डॉक्टर के द्वारा किसी सदस्य को धमका घोषित करने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
  - दंडित होने पर : वे समाप्त व्यक्ति जिनको किसी न्यायालय ने किसी संघे अंतराह में दंडित किया हो तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
  - विवाहित होने पर : वे सदस्य जो विवाहित घोषित हो जायेगी उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
  - सदस्यता शुल्क न देने पर : वे ही सदस्य जिनका निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न होगा की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
  - भीटपैदा में अनुपस्थिति : लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना किये अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति संस्था की सदस्यता के हक न होंगे।
  - अन्य शर्तें होने पर : किसी सदस्य द्वारा न्यायालय होने तथा उसके स्वीकार हो जाने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

  
 अध्यक्ष, संस्था  
 शाहजहाँपुर एन्यूक्लियर वेल्फेयर सोसायटी

N.K. Gupta  
 Secretary

2

संस्था के विस्तृत कार्य करने पर:

हरि किसी सदस्य द्वारा संस्था के विषयों का चलन नहीं किया जाता है तथा संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।

- 6. संस्था के अंग : 1. साधारण सभा।
- 2. प्रबन्धकारिणी समिति।

7. साधारण सभा यत्र : इस संस्था की साधारण सभा वह सभा कहलावेगी जिसमें सभी वर्षों के सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा इन सभी सदस्यों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होगा।

वैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक एक साल में कम से कम एक बार होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी।

सूचना : वेसा पूर्वानुदा जिसमें बैठक का विषय, तिथि, स्थान व समय अंकित हो सदस्यों के पास सामान्य बैठक के लिए कम से कम एक सप्ताह पूर्व एवं विशेष बैठक के लिए कम से कम 3 दिन पूर्व पहुँचानी आवश्यक होगी। सूचना किसी साफ़ ड्रार में दी जायेगी। साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति हो जाने पर इसकी बैठकों का योग्य पूर्ण होगा इस प्रकार योग्य 2/3 होगा।



विशेष वार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथि:

का अधिवेशन हर साल की अन्तिम सत्र में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि अर्थात् दिसम्बर माह के अन्तिम सत्र में आयोजित किया जायेगा इसमें वार्षिक बजट पर विचार होगा।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:

- 1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन अपने सदस्यों में से करना।
- 2. संस्था के आय व्यय पर नियन्त्रण रखना व वार्षिक रिपोर्ट पत्र बनाना।
- 3. कार्यकारिणी समिति में रिक्त होने वाले स्थानों को पूर्ण करना।
- 4. उद्देश्यों को पूर्ण करना व विषयों में परिवर्तन करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति : इस समिति की कार्यकारिणी समिति को कहा जायेगा जिसका यत्र, बैठक, योग्य, सूचना अर्थात् अति निम्न प्रकार होगी।

सुप्रसिद्ध *S.P. Singh* *Prakash*

कार्यकारिणी समिति *Prakash*

कार्यकारिणी समिति  
 कार्यकारिणी समिति  
 कार्यकारिणी समिति

सदन

प्रबन्धकारिणी समिति का सदन साधारण सभा में सदस्यों द्वारा अपने सत्रों में से किन्दा उठेगा इतने अवकाश, समित्त, नीतायमत्त एवं शेष सत्रस होने, प्रबन्ध कारिणी समिति सदस्यों को सभ्या रूप से कम 7 व अधिस्तस पराधिकारिणी सत्रि 21 सत्रस होने, जो आवश्यकता होने पर बदले-बदले भी जा सकेंगे।

पुनराव प्रक्रिया

1. पुनराव प्रक्रिया में ई सभी सदस्य भाग में सकेंगे किन्तोंने नियमनुसार सभसत सुक अथ वसने उचित सत्रि प्रण का जी हो तथा जिन्ने सभान सभ के सदन के अनुसार का देने का अधिकार हो सभान सभ का पुनराव के लिए जाहूत को सभी नियमनुसार बैठक में समस्त पराधिकारी एवं सदस्यों का पुनराव रूप से कम एक अवकाश और एक अनुसूचस में द्वारा होना अनिवार्य होगा।

बैठके

प्रबन्धकारिणी समिति को सामान्य बैठक एक सत्र के तीन बार होगी तथा अत्यावकाशीन स्थिति में बसों को विशेष बैठक का अधिकार हो सकेगा।

सूचना

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना कम से कम 24 घन्टे पूर्व लिखी जा सकेगी।

गणपूर्ति

सदि बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 2/3 ही तावनी जब इससे बैठक को गणपूर्ति होगी हा अत्रा कोरस 2/3 होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसको पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों में से अपने सत्रों से 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य:

1. समिति को उचित रूप से संचालन करना।
2. सभा के उद्देश्यों की पूर्ति करना एवं नियमों से परिचरत करना।
3. सत्रों के आगव सौकार करना।

कार्यकाल

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।


 मुकुन्दराज सिंह, [Signature], [Signature]


 अध्यक्ष, [Signature]


 अध्यक्ष, [Signature]

9. प्रत्यक्षरीणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष




1. समस्त प्रश्न को बैठकों को उपस्था करना।
2. बैठक में सम्मेलन चल होने पर निरीक्षण एवं अतिरिक्त एक निर्णयक मत देना।
3. समिति के अधिकारियों को सुरक्षा करना व उनकी विधायी करना।
4. संस्था की अन्य व्यवसाय पर निर्णय देना।
5. समस्त प्रश्न को वैधानिक/वैधानिक/व्यवहारिक पर हस्ताक्षर करना एवं व्यवस्थापक होने पर बर्नधारियों की नियुक्ति करना परोम्ति जति करना।
6. संस्था की ओर से समस्त प्रश्न की पर व्यवस्था करना।
7. संस्था की अन्य होने वाली समस्त ब्यवधि कर, कर्ष, अनुदान एवं अन्य जति देना करना।
8. संस्था का मुख्य अधिकारी होना एवं बैठकों का एकीकृत करी करेगा।
9. संस्था के क्षेत्र का संयोजन संयुक्त हस्ताक्षरों से करेगा।



सचिव

1. समिति को बैठकों का आयोजन करना तथा उसमें जति नियंत्रित करना।
2. बैठकों की कार्यवाही को बर्नधारियों रजिस्टर में लिखित कराना व उसमें बैठक में प्रस्ताव संयुक्त।
3. संस्था के कार्य का निष्पत्ति करना व अपने अग्रणी सुझाव देना।
4. संस्था की समिति को सुरक्षा करना एवं देखभाल करना।

वह अपने पास 2000/- रु. तक बचत एक समता है जति ब्यवधि को क्षेत्र/पैसा अधिक में जता करेगा एवं जित बादकर विचार कर उसमें परत करेगा तथा संस्था के क्षेत्र का संयोजन संयुक्त हस्ताक्षरों से करेगा।




  
**सत्य प्रतिष्ठिति**

11/04/2018

10. संस्था के निम्नो व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

साधारण सभा की विभिन्न बैठक में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत पर किसी बैठक में सार्वभौमिकी की उपस्थिति 2/3 होने के अन्तर्गत पर संस्था के निम्नो में परिवर्तन इस अन्तर्गत मान्य होने एवं इसकी अनुमति संबंधित कार्यालय में प्राप्त हो जायेगी।

11. संस्था का बोनस (लेखा व्यवस्था):-

सम्पदा कोषों से प्राप्त बचत/विधि की स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक/ कोऑपरेटिव बैंक/ लेखा अधिकारी ने समिति के नाम में खोले गये खाते में समिति की सम्पदा बचत/विधि तथा की जायेगी इस खाते का संवत्सरा लेखा में अन्तर्गत पर वीरवार्षिक के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

12. संस्था में आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):-

सम्पदा आय-व्यय का लेखा परीक्षण किसी नाममात्र प्राप्त सौकरा (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) से प्रत्येक वर्ष अन्तर्गत आय-व्ययानुसार सभी को कराई जायेगी जिसकी तारीख आठवां अक्टूबर/दिसम्बर समिति में प्रस्तुत की जायेगी।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके निरन्तर अन्तर्गत कार्यवाही के संवत्सरा का प्रवर्तन/प्रतिवर्तन:-

यदि संस्था किसी व्यक्तित्व में कोई बंध प्राप्त करेगी अथवा संस्था के निरन्तर कोई बंध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा द्वारा किया जायेगा तो इसकी संवत्सरा का पूर्ण प्रवर्तन/प्रतिवर्तन संस्था के अध्यक्ष का होगा। संस्था के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

14. संस्था के अधिकारी :

1. अध्यक्ष/प्रिंसिपल
2. सार्वभौमिकी अधिकारी,
3. सचिव/सेक्रेटरी,
4. एग्रीकल्चर अधिकारी।
5. कौन्सिलर आदि।

15. संस्था के विघटन और विधिवत समाप्ति के निस्तारण की कार्यवाही:-

यदि किसी कारण से संस्था समाप्त हो जायेगी या संस्था विधिवत हो जायेगी तो इस प्रकार सभी हुई चल/अचल सम्पत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही सौकरा/विधि एन्ड की बात 13 व 14 के अनुसंधान की जायेगी।



दिनांक: 12.02.2013

साथ प्रतिलिपि,

सुनील कुमार मुखर्जी, अध्यक्ष  
मुख्य प्रतिलिपि

AMM

NRG... Tyresh

11/04/2016

# शाहजहांपुर एजुकेशन वेल्फेयर सोसाइटी

74, शाही नगर बीबीजी नो० मुन्ना डेन, लखीम नगर, जिला शाहजहांपुर

संघ समिति की सूची वर्ष 2022-23

क्र०	नाम व पितृवर्ग का नाम	पता	पद	व्यवस्थाप
1	श्री दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री एम० डी० गुप्ता	74, शाही नगर बीबीजी नो० मुन्ना डेन, लखी नगर, जिला शाहजहांपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्रीमती सुशीला गुप्ता पत्नी श्री एम० डी० गुप्ता	74, शाही नगर बीबीजी नो० मुन्ना डेन, लखी नगर, जिला शाहजहांपुर	सचिव	समाज सेवी
3	श्रीमती अंजलि गुप्ता पत्नी श्री दिनेश कुमार गुप्ता	मुहिया नगर सिधीली तह फावरौ जिला शाहजहांपुर	सौभाग्यवत	शुभी
4	श्रीमती अनुष्का गुप्ता पत्नी श्री दिनेश गुप्ता	250, नो० मुन्ना डेन, लखी नगर, जिला शाहजहांपुर हाम निवासी-74, शाही नगर बीबीजी नो० मुन्ना डेन, लखी नगर, जिला शाहजहांपुर	सदस्य	शुभी
5	श्रीमती नीला देवी पत्नी श्री रामचन्द्र	घरम बरौज नगर शाहजहांपुर हाम निवासी-74, शाही नगर बीबीजी नो० मुन्ना डेन, लखी नगर, जिला शाहजहांपुर	सदस्य	शुभी
6	श्रीमती रम्य देवी पत्नी स्व श्री सुरेशिारी गुप्ता	श्री टिलकावतमा शाहजहांपुर हाम निवासी-74, शाही नगर बीबीजी नो० मुन्ना डेन, लखी नगर, जिला शाहजहांपुर	सदस्य	शुभी
7	श्री हरि नारायण सिंह पुत्र श्री रामचरण सिंह	327 मुकुंद, पी अड सतह फरीदपुर- 212822 हाम निवासी-74, शाही नगर बीबीजी नो० मुन्ना डेन, लखी नगर, जिला शाहजहांपुर	सदस्य	अध्यक्ष


संघ समिति

  
 अध्यक्ष